राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(बईजलास : चेतन देवडा आई.ए.एस.)

प्रकरण सं.–10/2018

दायर दि. 05.09.2018
निर्णय दि. 28.08.2019

मैसर्स तरूण मिनरल्स प्रो0 खेतान इण्डस्ट्रीज खेरवाड़ा जरिये पार्टनर श्री कदारनाथ खेतान तहसीलद खैरवाडा व जिला उदयपुर (राज0)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री दिनेश पिता काना
2. श्री मणी पत्नि दिनेश
   निवासी माण्डवा बियोला, तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिछीवाडा जिला डूंगरपुर

——रेस्पोडेन्टगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन)

नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत्

उपस्थित :–	1. श्री कृष्णराजसिंह, अधिवक्ता	–	अपीलान्टगण
	2. श्री भूरालाल डामोर, अधिवक्ता	–	रेस्पोडेन्टगण 1 व 2
	3. पैरोकार सरकार	–	रेस्पोडेन्ट सं. 3

:: निर्णय ::

यह प्रार्थना–पत्र अपीलार्थीगण की ओर से राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के नाम ग्राम माण्डवा बियोला के आराजी नंबर 331 में से आवंटित भूमि रकबा 01–00 बीघा जिसका नवीन खसरा नंबर 502/331 कायम हुआ है, का आवंटन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रकरण के प्रस्तुत आवेदन में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट एक खनन कम्पनी हैं। अपीलान्ट के नाम ग्राम माण्डवा बियोला में खनन लीज एम.एल.नंबर 5/99 स्वीकृत हैं, जो दिनांक 15.05.2030 तक प्रभावी है। उक्त खनन लीज का क्षेत्र 24.920 हैक्टर हैं जिसे राजस्व नक्शे में पेन्सिल से चिन्हित किया हैं। अपीलान्ट को ग्राम माण्डवा बियोला में सोप स्टोन खनन हेतु पट्टा नंबर एम.एल. 9/78 जारी किया गया था, जिसका लीज विलेख दिनांक 30.01.1980 का निष्पादित किया गया था। उक्त खनन पट्टे की अवधि बढा दी हैं जो अब एम.एल.नंबर 5/99 हैं। अपीलान्ट के उक्त लीज पट्टे की भूमि का क्षेत्र 24.920 हैक्टेयर क्षेत्र मे स्थित बिलानाम आराजी संख्या 331 में से रकबा 01–00 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 को कृषि प्रयोजन हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में जरिये मीसल नंबर 50/2013 के द्वारा आवंटित कर दी है। उक्त आवंटन का रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम नामान्तरकरण दर्ज होकर नवीन आराजी नंबर 502/331 कायम हो गेर खातेदारी में दर्ज है। रेस्पोडेन्ट को

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

आवंटित भूमि अपीलान्ट के हक में स्वीकृत एम.एल. नंबर 5/99 में आने से आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी तथापि बगैर जांच पड़ताल के आवंटन होने से अब रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के खनन में व्यवधान डाला जाता रहता है जिससे उक्त आवंटन को निरस्त किया जावें।

अपीलान्ट के प्रार्थना–पत्र के क्रम में प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक नियुक्त किया गया एवं जवाब प्रस्तुत करते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र असत्य आधारों पर होने से तथा रेस्पोडेन्ट के नियमानुसार भूमि आवंटन हो मौके पर काबिज काश्त होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त करने निवेदन किया गया हैं।

उभय पक्षों की बहस समायत की गई। अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम माण्डवा बियोला में अपीलान्ट को खनन लीज संख्या 5/99 स्वीकृत है जिसका कुल क्षेत्रफल 24.920 हैक्टेयर होकर उक्त लीज की अवधि दिनांक 13.12.2015 द्वारा दिनांक 15.05.2030 तक प्रभावी हैं। अपीलान्ट को खनन हेतु लीज पर दी गई भूमि के क्षेत्र 24.920 हैक्टर में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि को आवंटन नहीं किया जा सकता हैं। अपीलार्थी को स्वीकृत खनन लीज एम.एल. नंबर 5/99 के क्षेत्र 24.920 हैक्टर भूमि में प्रार्थी द्वारा खनन कार्य किया जाता है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपने कथित आवंटन को लेकर आये दिन विवाद करते है तथा अपीलान्ट के खनन में दखल करते हैं। आगे कथन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 04.12.2015 के अनुसार ख.नं. 502/331 प्रार्थीगण की लीज भूमि में आता है। साथ ही निवेदन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार खनन हेतु आवंटित भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नहीं किया जा सकता हैं। अतः रेस्पोडेन्टगण को किया गया आवंटन निरस्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के योग्य अभिभाषक का कथन है कि रेस्पोडेन्टगण को मौजा माण्डवा बियोला की बिलानाम आराजी संख्या 331 में उनके पुराने कब्जे काश्त के आधार पर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 के अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ हेतु नियमानुसार रकबा 1–00 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24.03.2013 को आवंटित की गई हैं। आवंटित भूमि का उन्हें मौके पर पटवारी हल्का द्वारा कब्जा सुपूर्द किया गया हैं तथा नामान्तरकरण दायर कर भूमि खाते में अंकित की है। आवंटित भूमि पर रेस्पोडेन्टगण काबिज काश्त है, मकान बनाकर बिजली का कनेक्शन लेकर परिवार सहित निवासरत है। आवंटित भूमि पर रेस्पोडेन्ट काश्त कर अपना व परिवार का भरण–पोषण करते है तथा उक्त भूमि के अलावा अन्य भूमि उनके पास नहीं हैं। रेस्पोडेन्टगण को आवंटित भूमि पर खनन कार्य नहीं होता है अपितु रेस्पोडेन्टगण द्वारा इसमें काश्त की जाती हैं। रेस्पोडेन्टगण को आवंटित भूमि की आराजी नंबर 331 का क्षेत्र विस्तृत है। साथ ही निवेदन किया है कि प्रार्थीगण को 1978 में 20 वर्ष के लिए लीज हुई थी, जो 1998 में समाप्त हो गई। वर्ष 1998 से 2015 तक लीज

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

का कोई रिकार्ड नहीं है। प्रार्थीगण की लीज का नवीनीकरण 23.12.2015 को किया गया है। वक्त आवंटन लीज प्रभावी नहीं थी। आवंटन कमेटी ने पुरी प्रक्रिया कर मौका देखकर नियमानुसार आवंटन किया है। खनन पट्टे में कौनसे खसरा नंबर की भूमि आ रही है इसका लीज में कोई अंकन नहीं हैं। ख.नं. 331 का रकबा बहुत बड़ा हैं। अपीलान्ट ने असत्य आधारों पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज किया जावें।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का आध्योपरांत अवलोकन किया। अपीलार्थी का पूर्व में एम.एल. नंबर 9/78 की अवधि 20 वर्षो हेतु अर्थात् 1998 तक की थी। नवीन लीज एम.एल. नंबर 5/99 हैं, जिसकी अवधि दिनांक 15.05.2030 तक की है। अपीलार्थी को स्वीकृत लीज एम.एल. नंबर 9/78 अथवा 5/99 का राजस्व रेकार्ड एवं नक्शें में अंकन नहीं हैं। प्रार्थी को स्वीकृत लीज में खसरा नंबर का अंकन नहीं हैं एवं न हीं अपीलार्थी को स्वीकृत खनन लीज को राजस्व नक्शें पर सुपर–इम्पोज ही किया गया है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि अपीलाथी को स्वीकृत लीज के क्षेत्र में आती हैं। रेस्पोडेन्ट को ग्राम माण्डवा बियोला के बिलानाम ख.नं. 331 का क्षेत्र विस्तृत हो करीब 20 बीघा हैं। जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि रेस्पोडेन्टगण को आवंटित भूमि रकबा 1–00 बीधा भूमि प्रार्थी को स्वीकृत खनन लीज संख्या 5/99 में आती हो। रेस्पोडेन्ट का आवंटित भूमि पर काश्त कब्जा एवं मकान बना हुआ हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में विफल रहा हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को आवंटित रकबा 01–00 बीघा भूमि जिसका नवीन आराजी नंबर 502/331 कायम हुआ हैं जो अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकृत एम.एल. नंबर 9/78 अथवा 5/99 के क्षेत्र के अन्तर्गत आती हो। उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट निरस्त योग्य हैं।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारीज किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम ग्राम माण्डवा बियोला के खसरा नंबर 502/331 रकबा 01–00 बीघा भूमि का आवंटन यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावें।

(चेतन देवडा)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner